

पत्रांक : 29/बी०टी०ई०/01/2017-18/.....368/बजट

झारखण्ड सरकार  
योजना सह वित्त विभाग

प्रेषक,

अमित खरे,  
अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,  
सभी प्रधान सचिव/सचिव,  
सभी विभागाध्यक्ष,  
झारखण्ड, राँची ।

राँची, दिनांक : 23/08/2017

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 के झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम, संख्या-16/2017) द्वारा प्रावधानित राशि के व्यय की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम अनुपूरक से संबंधित झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2017 पर मा० राज्यपाल महोदया द्वारा दिनांक 21.08.2017 को अनुमति प्रदान कर दी गई है। इससे सम्बन्धित झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम, संख्या-16/2017) का प्रकाशन विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना संख्या-एल०जी०-17/2006 (खंड-II)-100/लेज०, दिनांक-23.08.2017 द्वारा किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त विनियोग अधिनियम के तहत किये गये बजट प्रावधान का व्यय नियमानुसार राज्य की संचित निधि से किया जा सकता है।

प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगें झारनेट की वेबसाइट - <https://finance-jharkhand.gov.in/budgetjhr/budget 2017-18> पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें  
2017-18 की एक प्रति।

विश्वासभाजन,  
अमित खरे  
23.8.2017  
( अमित खरे )  
अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/01/2017-18/.....368/बजट,

राँची, दिनांक 23/08/2017


प्रतिलिपि : मा० राज्यपाल महोदया के अपर मुख्य सचिव/मा० मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधानसभा/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें  
2017-18 की एक प्रति।

अमित खरे  
23.8.2017  
( अमित खरे )  
अपर मुख्य सचिव ।


ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/01/2017-18/368/बजट, राँची, दिनांक 23/08/2017  
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें 2017-18  
की एक प्रति।

  
23.8.2017  
(अमित खरे)  
अपर मुख्य सचिव।


ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/01/2017-18/368/बजट, राँची, दिनांक 23/08/2017  
प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें 2017-18  
की पाँच प्रतियाँ, झारखण्ड विनियोग  
(संख्या-03) विधेयक, 2017।


  
23.8.2017  
(अमित खरे)  
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/01/2017-18/368/बजट, राँची, दिनांक : 23/08/2017  
प्रतिलिपि : सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें  
2017-18 की एक प्रति।


  
23.8.2017  
(अमित खरे)  
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/01/2017-18/368/बजट, राँची, दिनांक : 23/08/2017  
प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप-विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
23.8.2017  
(अमित खरे)  
अपर मुख्य सचिव।


ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/01/2017-18/368/बजट, राँची, दिनांक : 23/08/2017  
प्रतिलिपि : अवर सचिव, लेखा शाखा, योजना सह वित्त विभाग/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय/कोषागार शाखा/अंकेक्षण शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें  
2017-18 की एक प्रति।

  
23.8.2017  
(अमित खरे)  
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक : 29/बी०टी०ई०/01/2017-18/368/बजट, राँची, दिनांक : 23/08/2017  
प्रतिलिपि : उप सचिव, पी०एम०यू०, योजना सह वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय website पर upload करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें  
2017-18 की एक प्रति।

  
23.8.2017  
(अमित खरे)  
अपर मुख्य सचिव।